न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
18/2023	धारा 136 LRA	14.03.2023	13.07.2023.

अब्दुल रहमान पुत्र अलामहर जाति ईलाहा/इलाही (दाई–माई) निवासी वार्ड नं. 15 पानी की टंकी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू जिला चूरू

– मुख्य अप्रार्थी –

2. आमीन पुत्र अलामहर जाति ईलाहा/इलाही (दाई–माई) निवासी वार्ड नं. 15 पानी की टंकी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. उस्मान पुत्र अलामहर जाति ईलाहा/इलाही (दाई–माई) निवासी वार्ड नं. 15 पानी की टंकी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. निसार पुत्र अलामहर जाति ईलाहा/इलाही (दाई–माई) निवासी वार्ड नं. 15 पानी की टंकी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. जुलेखा पुत्री अलामहर जाति ईलाहा/इलाही (दाई–माई) निवासी वार्ड नं. 15 पानी की टंकी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. भवंरी पुत्री अलामहर जाति ईलाहा/इलाही (दाई–माई) निवासी वार्ड नं. 15 पानी की टंकी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

– गोण अप्रार्थी–

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का पेश कर निवेदन किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

1. यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2549/148 तादादी 2.2131 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में मेरे पिता अल्ला महर की पैतृक व एकल खातेदारी कृषि भूमि है।

2. यह कि कृषि भूमि मेरे पिता अल्लामहर की एकल खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण का कब्जा, काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास होने के बाद पैतृक इन्तकाल दर्ज होने के समय मुझ प्रार्थी का नाम अब्दुल रहमान के स्थान पर अब्दुल व रहमान दो नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गये जबकि इन्तकाल संख्या 1786 में दिनांक 08.10.2007 में इन्तकाल में कुर्सीनामा व दर्ज प्रविष्ट काश्तकार का नाम सही अंकन हुआ मगर उक्त जमाबन्दी कम्प्यूटरीकृत के समय सेरीग्रेशन के समय प्रार्थी का नाम दो जगह अब्दुल व रहमान दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अब्दुल रहमान है एवं उक्त खातेदारी में इस सेरीग्रेशन के कारण 1/7 हिस्सा खातेदारी दर्ज हो गई जबकि 1/6 हिस्सा खातेदारी होनी थी। जिस कारण उक्त प्रार्थी का नाम दो जगह अब्दुल व रहमान को हटाने बाबत एवम् हिस्सा दुरूस्त करने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते इसलिए प्रार्थी के स्वयं के नाम व हिस्सा को दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा पैतृक कृषि भूमि इन्तकाल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का नाम व हिस्सा दोनों ही सही है मगर जब जमाबन्दी कम्प्यूटरीकृत की गई तब हिस्सा व नाम प्रार्थी का गलत दर्ज हो गया। जिस जमाबन्दी को दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र दावा मातहत में पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण ने जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहा तब पता चला कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण किसी प्रकार की सरकारी योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते क्योंकि प्रार्थी के स्वयं के दो नाम रिकॉर्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है एवं हिस्सा गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कहा व कहलवाया कि प्रार्थी का नाम अब्दुल व रहमान के स्थान पर अब्दुल रहमान किया जावे एवं हिस्सा 1/7 के स्थान पर 1/6 दर्ज किया जावे एवं इंतकाल संख्या 1786 के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। मगर अप्रार्थी टाल–मटोल करता रहा व आखिरकार दिनांक 20.02.2023 को अप्रार्थी ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख 20.02.2023 से वादकारण तथा वाद–हेतुक प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

6. यह कि निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2549/148 तादादी 2.2131 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि इंतकाल संख्या 1786 में प्रार्थी के स्वयं के नाम अब्दुल व रहमान के स्थान पर अब्दुल रहमान दर्ज एवं हिस्सा 1/7 के स्थान पर 1/6 दर्ज किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 ता 06 की ओर से अधिवक्ता [illegible] ने वकालतनामा पेश किया एवं सहखातेदारों की ओर से [illegible] किया गया तहसीलदार चूरू की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस का निवेदन किया गया जिस पर अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का आवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से कृषि भूमि खसरा नम्बर 2549/148 तादादी 2.2131 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि इंतकाल संख्या 1786 में प्रार्थी का स्वयं के नाम अब्दुल व रहमान के स्थान पर अब्दुल रहमान दर्ज किया जावे एवं हिस्सा 1/7 के स्थान पर 1/6 दर्ज किया जावे। दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नम्बर 2549/148 रोही ग्राम चूरू अब्दुल व रहमान अलग –अलग नाम दर्ज है व कुल 07 खातेदार दर्ज है। इन्तकाल संख्या 1786 में अलामेहर के 06 वारिस अंकित है निसार, अब्दुलरहमान, आमीन, उस्मान, जुलेखां, भंवरी अंकित है जबकि जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में अब्दुल व रहमान अलग–अलग दर्ज है। उक्त विवेचन स्पष्ट परिलक्षित होता है इतंकाल दर्ज होने में सहवन से अब्दुल रहमान के स्थान पर अब्दुल व रहमान अलग–अलग दर्ज हो गया जो एक लिपिकीय त्रुटी है अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2549/148 तादादी 2.2131 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू की जमाबंदी में अंकित राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाकर निम्न प्रकार से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता हैः–

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	नम
1	273	2549/148	1. अब्दुल रहमान पुत्र अलामहर हिस्सा 1/6 जाति इलाहा/इलाही(दाई–माई) निवासी चूरू खातेदार 2. आमीन पुत्र अलामहर हिस्सा 1/6जाति इलाहा/इलाही(दाई–माई) निवासी चूरू खातेदार 3. उस्मान पुत्र अलामहर हिस्सा 1/6 जाति [illegible]ई) निवासी चूरू खातेदार 4. जुलेखां [illegible] अ[illegible]महर हिस्सा 1/6 जाति [illegible] निवासी चूरू खातेदार 5. निसार पुत्र [illegible]लाहर हिस्सा 1/6 जाति इलाहा/इला[illegible](दाई–माई) निवासी चूरू खातेदार 6. भंवरी पुत्री अलामहर हिस्सा 1/6 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

			इलाहा/इलाही(दाई–माई) निवासी चूरू खातेदार

तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested